

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018-पौष 7, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पूर्व में गोविन्द प्रसाद कतिया था, पीएचडी पूर्ण करने के पश्चात् अब मेरा नाम डॉक्टर गोविन्द प्रसाद कतिया हो गया है। भविष्य में मुझे डॉक्टर गोविन्द प्रसाद कतिया के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(गोविन्द प्रसाद कतिया)

(766-बी.)

नया नाम :

(डॉक्टर गोविन्द प्रसाद कतिया)

जिला इन्दौर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम अरूणेश जैतल से बदलकर नया नाम आयुष जैतल (AYUSH JAITAL) रख लिया है। मुझे भविष्य में सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम आयुष जैतल (AYUSH JAITAL) से ही जाना एवं पहचाना जाये एवं उपयोग किया जावे।

पुराना नाम :

(अरूणेश जैतल)

(767-बी.)

नया नाम :

(आयुष जैतल)

पुत्र श्री राकेश गुप्ता,
पता-रामकला नगर, 06 नं. चौराहा मुरार,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम सुशीला जोतवानी पुत्री श्री हरीशचंद जोतवानी, निवासी रावत भाटा, बस स्टैंड गुमानपुरा कोटा (राज.) था। दिनांक 26-11-1999 को मेरा विवाह श्री भीषम रहेजा पुत्र श्री राजपाल रहेजा, निवासी जगताप की गोठ नं. 2, माधोगंज, ग्वालियर (म.प्र.) से होने के बाद मेरा नाम श्रीमती अमृता रहेजा पत्नी श्री भीषम रहेजा हो गया है। भविष्य में अब इसी नाम से जानी, पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम :

(सुशीला जोतवानी)

पुत्री-श्री हरीशचंद जोतवानी।

(768-बी.)

नया नाम :

(अमृता रहेजा)

पत्नी-श्री भीषम रहेजा,

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिव हरिओम मैथिल, अधिवक्ता, आ. श्री गोपीलाल मैथिल, आयु 50 वर्ष, निवासी ग्राम-पोस्ट, दिल्लोद, थाना गुनगा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल म.प्र. का होकर यह घोषित करता हूँ कि मैंने अपने नाम को परिवर्तित (बदलकर) नवीन (नया) नाम शिव कुमार मैथिल रख लिया है और शासकीय अभिलेखों में भी अपना नया नाम शिव कुमार मैथिल अंकित करवा रहा हूँ। अब भविष्य में किये जाने वाली शासकीय और अशासकीय वैधानिक कार्यवाहियों में एवं जन सामान्य के मध्य प्रचलन में मेरा नवीन नाम (शिव कुमार मैथिल) प्रयोग किया जायेगा।

पुराना नाम :

(शिव हरिओम मैथिल)

(769-बी.)

नया नाम :

(शिव कुमार मैथिल)

निवासी-ग्राम पोस्ट, दिल्लोद, थाना गुनगा,
तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

By this Public Notice this is to inform that I have been named as "Ronak Saxena S/o Shri Amit Saxena" till date but from today my name will be "Aman Sheikh S/o Shri Amit Saxena" and will be named & recognised as "Aman Sheikh S/o Shri Amit Saxena" from today onwards.

Old Name:

(RONAK SAXENA)

(770-B.)

New Name :

(AMAN SHEIKH)

S/o Shri Amit Saxena,
179-C, Vaibhav Nagar, Kanadiya Road,
Indore (M.P.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, प्रीतम कुमार टेकवानी सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम प्रीतम कुमार खत्री थो जो कि मेरे जीवन बीमा पॉलिसी एवं म्यूचलफंड (शेयरों) में त्रुटिवश अंकित को गया है जबकि मैं, वर्तमान में प्रीतम कुमार टेकवानी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम प्रीतम कुमार टेकवानी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा साथ ही प्रीतम कुमार टेकवानी एवं प्रीतम कुमार खत्री एक ही व्यक्ति के नाम है, अतः मेरी जीवन बीमा पॉलिसी एवं म्यूचलफंड (शेयरों) में मेरा नाम प्रीतम कुमार टेकवानी किया जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(प्रीतम कुमार खत्री)

(771-बी.)

नया नाम :

(प्रीतम कुमार टेकवानी)

निवासी-320/एन, गली नंबर 6, शांतीनगर,
राजीवगांधी वार्ड, जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रश्मि सिंह गौर सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से श्री नवीनीत सिंह गौर के साथ दिनांक 24-04-2004 को सम्पन्न हुआ था, विवाह पूर्व मेरा नाम राकेश सिंह भदौरिया पुत्री श्री दाताराम भदौरिया था. जो कि मेरे शैक्षणिक एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं बीमा पॉलिसी में अंकित है वर्तमान में मैं, श्रीमती रश्मि सिंह गौर पत्नी श्री नवनीत सिंह गौर के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती रश्मि सिंह गौर पत्नी श्री नवनीत सिंह गौर के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी. अतः मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम श्रीमती राकेश सिंह भदौरिया के स्थान पर श्रीमती रश्मि सिंह गौर पत्नी श्री नवनीत सिंह गौर अंकित किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(राकेश सिंह भदौरिया)

(776-बी.)

नया नाम :

(रश्मि सिंह गौर)

निवासी-लकड़ खाना, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मदन सिंह कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम बचपन से मदन सिंह है जो कि मेरे शैक्षणिक एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में अंकित है जबकि वर्तमान में मुझे मदन सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और भविष्य में भी मैं इसी नाम मदन सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा, मदन सिंह एवं मदन सिंह कुशवाह एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरे शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में मेरा नाम मदन सिंह के स्थान पर मदन सिंह कुशवाह किया जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(मदन सिंह)

नया नाम :

(मदन सिंह कुशवाह)

रहे का पुरा सोजना तिगरा,

ग्वालियर (म.प्र.)

(777-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुभाष बडजात्या पुत्र श्री पूरणमल बडजात्या सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम सुभाष चन्द्र जैन, सुभाषचन्द्र जैन एवं सुभाष जैन था जो कि मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में अंकित है तथा वर्तमान में मैं, सुभाष बडजात्या पुत्र श्री पूरणमल बडजात्या के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम सुभाष बडजात्या पुत्र श्री पूरणमल बडजात्या के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा, सुभाष चन्द्र जैन, सुभाषचन्द्र जैन एवं सुभाष जैन सुभाष बडजात्या एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में मेरा नाम सुभाष चन्द्र जैन, सुभाषचन्द्र जैन एवं सुभाष जैन के स्थान पर सुभाष बडजात्या पुत्र श्री पूरणमल बडजात्या अंकित किया जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(सुभाष चन्द्र जैन, सुभाषचन्द्र जैन, सुभाष जैन)

नया नाम :

(सुभाष बडजात्या)

48, तिलक नगर, एक्सटेंशन,

इन्दौर 452018.

(778-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, किशोर जैन पुत्र श्री विमल चन्द्र जैन सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम किशोर कुमार चवरे था जो कि मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में अंकित है तथा वर्तमान में मैं, किशोर जैन पुत्र श्री विमल चन्द्र जैन के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम किशोर जैन पुत्र श्री विमल चन्द्र जैन के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा, किशोर कुमार चवरे एवं किशोर जैन एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में मेरा नाम किशोर कुमार चवरे के स्थान पर किशोर जैन अंकित किया जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(किशोर कुमार चवरे)

नया नाम :

(किशोर जैन)

प्लाट क्र.2, 57 लक्ष्य विहार,

इन्दौर (म.प्र.)

(779-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती लीला बडजात्या पत्नी श्री सुभाष बडजात्या सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम लीला जैन था जो कि मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में अंकित है तथा वर्तमान में मैं, श्रीमती लीला बडजात्या पत्नी श्री सुभाष बडजात्या के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती लीला बडजात्या पत्नी श्री सुभाष बडजात्या के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी, लीला जैन एवं श्रीमती लीला बडजात्या पत्नी श्री सुभाष बडजात्या एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में मेरा नाम लीला जैन के स्थान पर श्रीमती लीला बडजात्या पत्नी श्री सुभाष बडजात्या अंकित किया जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(लीला जैन)

नया नाम :

(लीला बडजात्या)

48, तिलक नगर, एक्सटेंशन,

इन्दौर 452018.

(780-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी 11वीं बोर्ड की मार्कशीट में मेरा नाम गोवर्धन गुप्ता पिता श्री सूर्यनारायण गुप्ता लिखा हुआ है जबकि मैंने अपना नाम बदलकर गोवर्धन गुप्ता के स्थान पर सुनील गुप्ता पिता श्री सूर्यनारायण गुप्ता रख लिया है जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य सभी आई. डी., बैंक पासबुक आदि सभी दस्तावेजों में दर्ज है, उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुनील गुप्ता पिता श्री सूर्यनारायण गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना व लिखा, पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(गोवर्धन गुप्ता)

(782-बी.)

नया नाम :

(सुनील गुप्ता)

CHANGE OF NAME

Know to all the persons and all the concerned by this Public Notice that my prevalent name is BABULAL MUNDRA but my Domestic and Childhood recorded name is also BABULAL MUNDRA. So I should also be known and recognized by name Manoj Kumar Alias Babulal Mundra R/O Ujjain (M.P).

Old Name:

(BABULAL MUNDRA)

(784-B.)

New Name :

(MANOJ KUMAR ALIAS BABULAL MUNDRA)

S/o Murlidhar Mundra,

R/o-15, Uttam Nagar, Hira Mill Road,

Ujjain (M.P.).

CHANGE OF NAME

Know to all the persons and all the concerned by this Public Notice that my Husband's prevalent name is MANOJ KUMAR MUNDRA but his Domestic and Childhood recorded name is also BABULAL MUNDRA. So I should also be known and recognized by old name Smt. Bela W/o Manoj Kumar Alias Babulal Mundra R/O Ujjain (M.P).

Old Name:

(BELA)

(785-B.)

New Name :

(BELA MUNDRA)

W/o Manoj Kumar Alias Babulal Mundra

R/o-15, Uttam Nagar, Hira Mill Road,

Ujjain (M.P.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स भारती बिल्डकॉन, सी-3, गोविन्दपुरी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) ने 07-12-2018 को अपनी साझेदारी फर्म संशोधन कर श्रीमती ऋचा राजौरिया पति श्री विकास राजौरिया, निवासी ए-132, सिसौदिया कॉलोनी, गुना (म.प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है। भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा एवं साथ ही 07-12-2018 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर नवीन साझेदार श्री उदय प्रताप शर्मा पुत्र स्व. श्री राम चरण लाल शर्मा, निवासी ए-46, गोविन्दपुरी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार हैं।

(772-बी.)

मैसर्स भारती बिल्डकॉन,

अजय शर्मा,

(भागीदार)

सी-3, गोविन्दपुरी, ठाटीपुर,

ग्वालियर (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स सुधीन्द्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर्स, 55-एम. आई. जी., दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) के पार्टनर श्री सुधीन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री रणवीर सिंह कुशवाह, निवासी 55-एम. आई. जी. दर्पण कॉलोनी,

ठाटीपुर ग्वालियर (म.प्र.) का स्वर्गवास दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 को हो जाने के कारण फर्म में संशोधन कर स्व. श्री सुधीन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री रणवीर सिंह कुशवाह को फर्म से पृथक् कर दिया है। संशोधन दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 को किया गया है सभी पार्टनर भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार हैं।

मैसर्स सुधीन्द्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर्स,

अशीष सिंह कुशवाह,

(भागीदार)

55-एम. आई. जी., दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर,
ग्वालियर (म.प्र.)

(773-बी.)

जाहिर सूचना

(भागीदारी फर्म अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अन्तर्गत)

यह कि मैसर्स जे. के. मिनरल्स जिसका पंजीयन क्रमांक 04/21/01/0076/15 जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है।

दिनांक 09 अगस्त, 2018 की भागीदारी डीड के अनुसार श्रीमती इंदिरा वी. त्रिवेदी, बालाघाट फर्म से अलग हो गये हैं और फर्म पूर्व के अनुसार कार्यरत हैं।

वास्ते-जे. के. मिनरल्स बालाघाट,

PRADYUMAN KUMAR TRIVEDI,

(774-बी.)

(पार्टनर).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार मैसर्स ऐक्सीलेस डेवलपर्स, पता-डल्लू. बी.-56, योजना क्रमांक 94, बाम्बे हास्पीटल सर्विस रोड, इन्दौर एक पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म है जिसके पार्टनर 1. श्री दर्पण जेठवानी पिता श्री सुन्दरलाल जेठवानी, 2. श्री गोपालसिंह कुशवाह पिता श्री तेजपालसिंह कुशवाह हैं। उपरोक्त फर्म में श्री दर्पण जेठवानी का 25 प्रतिशत एवम् श्री गोपालसिंह कुशवाह का 75 प्रतिशत का शेयर है एवम् उपरोक्त फर्म के पार्टनरों के मध्य आपसी सहमति से श्री दर्पण जेठवानी का 25 प्रतिशत शेयर श्रीमती गार्गीसिंह पति श्री गोपालसिंह कुशवाह ने क्रय कर लिया होकर श्री दर्पण जेठवानी उपरोक्त फर्म से रिटायर हो गये हैं इसके पश्चात् आज दिनांक के पश्चात् उपरोक्त फर्म या उसकी सम्पत्ति आदि से श्री दर्पण जेठवानी का कोई हक्क अधिकार आदि नहीं रहेगा एवम् इस प्रकार वर्तमान में उपरोक्त फर्म के 1. श्री गोपालसिंह कुशवाह पिता श्री तेजपालसिंह कुशवाह एवम् 2. श्रीमती गार्गी सिंह पति श्री गोपालसिंह कुशवाह ही पार्टनर हैं। सो विदित होवें।

मनोज शर्मा,

(एडब्ल्यूकेट).

(775-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स तिवारी इंडस्ट्रीज स्थित ए-22 गिराज कॉलोनी, बहोड़ापुर, ग्वालियर में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0223/18, दिनांक 18-12-2018 है जिसमें दिनांक 16-08-2018 को भागीदार श्री अंकुर तिवारी पुत्र श्री राजीव तिवारी, निवासी लाला का बाजार लश्कर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-मैसर्स तिवारी इंडस्ट्रीज,

पवन कुमार गुप्ता,

(भागीदार)

ए-22, गिराज कॉलोनी, बहोड़ापुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(781-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स शिवशक्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0034/16, दिनांक 25-05-2016 कार्यालय 82, सरस्वती नगर, यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) में है जिसके वर्तमान में भागीदार विजय सक्सैना पुत्र श्री कृष्णनारायण सक्सैना तथा श्रीमती सुनीता सक्सैना पत्नी श्री विजय सक्सैना हैं। भागीदारी फर्म में दिनांक 03-06-2016 से

श्री पुष्टेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री कोक सिंह तोमर, निवासी गणेश कॉलोनी, सेन्टपॉल स्कूल के पास, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती उषा शुक्ला पत्नी श्री नारायण शुक्ला, निवासी 395, जीवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर तथा श्री अमित शुक्ला पुत्र श्री नारायण शुक्ला, निवासी 395, जीवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर को बताएं भागीदार सम्मिलित किया गया है। अतः सर्व-साधारण सूचित हो।

फर्म-मैसर्स शिवशक्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स,
विजय सक्सेना, सुनीता सक्सेना, पुष्टेन्द्र सिंह तोमर,
उषा शुक्ला, अमित शुक्ला,
(भागीदार).

(783-बी.)

आम सूचना

सर्व-सम्बन्धितों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे. ब्लू लोटस लेण्ड एण्ड ड्वलपर्स से दिनांक 31-03-2011 को स्वेच्छा से 3 भागीदार पृथक् हो गये हैं। भागीदार क्रमांक 1. आशीष अग्रवाल पुत्र श्री घनश्याम अग्रवाल, भागीदार क्रमांक 2. श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी श्री अनिल अग्रवाल भागीदार क्रमांक 3. मालती देवी गर्ग पत्नी स्व. श्री रामस्वरूप गर्ग। वर्तमान में फर्म के शेष भागीदार अंकित सिंघल पुत्र श्री हरिओम सिंघल, महेश भारद्वाज पुत्र श्री एम. एल. भारद्वाज, संजय अरोरा पुत्र स्व. श्री आर. पी. अरोरा, रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा हैं। शेष चारों भागीदारी ही दिनांक 31-03-2011 से फर्म के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी रहेंगे।

For Blue Lotus Land & Developers,
ANKIT SINGHAL,
(Partner).

(786-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बुधनी, जिला सीहोर

प्ररूप-5

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) द्वारा]
लोक न्यास के पंजीयक, बुधनी, जिला सीहोर के समक्ष।

मुझे ज्ञात हुआ है यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उप धारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

इसलिये मैं, शैलेन्द्र हनोतिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बुधनी, जिला सीहोर मेरे समक्ष आवेदिका रामबाई पंडा, प. हरिशंकर पंडा, निवासी नयागांव, तहसील रेहटी, जिला सीहोर पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में यथाअपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय खनने वाले को दो प्रतियों में इस प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	संपत्ति का वर्णन	चल सम्पत्ति	अचल सम्पत्ति	अन्य विवरण
राम जानकी मंदिर	138/1 रकवा 2.00 एकड़	निरंक	निरंक	-
ग्राम नयागांव, तहसील रेहटी.	स्थित ग्राम नयागांव, तहसील रेहटी.			

शैलेन्द्र हनोतिया,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

(1326)

अन्य सूचनाएं

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इन्दौर, संभाग इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018

क्रमांक294/बस स्टेण्ड/2018-इस प्राधिकार की अधिसूचना क्रमांक411/बस स्टेण्ड/2016 इन्दौर, दिनांक 06 मई, 2016 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 13 मई, 2016 के भाग-3(1) में किया गया था, के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-117 में विहित प्रावधान के पालन में तीन ईमली चौराहा स्थित शासकीय भूमि पर स्थित बस स्टेण्ड को “तीन ईमली बस स्टेण्ड” अधिसूचित घोषित किया गया है।

अब एतद्वारा उक्त अधिसूचित बस स्टेण्ड को गैर-अधिसूचित घोषित किया जाता है।

संजय सोनी,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इन्दौर,

संभाग इन्दौर.

(1357)

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

श्री अग्रसेन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

श्री अग्रसेन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/567, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निमानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमाप्त में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1343)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत्]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

माधव मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., हर्षी.

माधव मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/508, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष खोकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमाप्त में लाया जावें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1344)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत्]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

दि रालीजेन्ट साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

दि रालीजेन्ट साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/469, दिनांक 09 सितम्बर, 2015 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है.
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1345)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष।

सदाशिव प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर।

सदाशिव प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/674, दिनांक 28 मार्च, 2017 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1346)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष।

एकता विकास प्राथ. उप. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर।

एकता विकास प्राथ. उप. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/622, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017

से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्ध्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1347)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष।

नवनीत महिला प्राथ. उप. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर।

नवनीत महिला प्राथ. उप. सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/480, दिनांक 23 जनवरी, 2015 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्ध्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1348)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

सिद्ध विनायक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सिद्ध विनायक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/692, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमाप्त में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1349)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

सहयोग मल्टीपरपज सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर।

सहयोग मल्टीपरपज सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/516, दिनांक 12 फरवरी, 2016 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1350)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष।

अनु. जाति जनजाति अधि. कर्म. साख
सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर।

अनु. जाति जनजाति अधि. कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/591, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्ध-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1351)

ग्वालियर, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष।

औषधी फसल उत्पादक सहकारी संस्था
मर्या., पाटई घाटीगाँव, ग्वालियर।

क्र./परि./2018/2396.—औषधी फसल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाटई घाटीगाँव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र...../दिनांकहै निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से

नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1352)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष।

भारतीय साख सहकारी संस्था मर्या., डबरा।

भारतीय साख सहकारी संस्था मर्या., डबरा ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/505, दिनांक 15 फरवरी, 2016 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1353)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/681, दिनांक 28 मार्च, 2017 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमाप्त में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1354)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष.

त्रिकुटवासिनी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

त्रिकुटवासिनी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/805, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1355)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष।

गुरु कन्हाररास प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर।

गुरु कन्हाररास प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/GWR/538, दिनांक 22 जून, 2016 है। निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा.निर्वा. 2/2017/7873, दिनांक 17 जुलाई, 2017 से नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिताएं संज्ञान में आई हैं—

1. संस्था के पंजीयक द्वारा नामांकित प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निर्वाचन सम्पन्न का कोई रिकार्ड ही इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
2. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को पंजीयन नस्ती के आधार पर अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील “डी” वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
3. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
4. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ, कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक।

(1356)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रत्लाम

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुर्घ संयंत्र, सागोद रोड, रत्लाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं./दु.सं./18 रत्लाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामेडी जिसका पंजीयन क्र. 304, दिनांक 06 जुलाई, 1982 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1810, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला रत्तलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री वी. के. गोसाई, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री वी. के. गोसाई, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1327)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रत्तलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं./दु.सं./18 रत्तलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोडियाना जिसका पंजीयन क्र. 821, दिनांक 25 मई, 2005 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1811, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला रत्तलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री प्रमोद तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री प्रमोद तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1328)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रत्तलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं./दु.सं./18 रत्तलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मचून जिसका पंजीयन क्र. 632, दिनांक 30 जून, 1994 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1808, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला रत्तलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री वी. के. गोसाई, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री वी. के. गोसाई, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1329)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रत्तलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं./दु.सं./18 रत्तलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करीया जिसका पंजीयन क्र. 630, दिनांक 30 जून, 1994 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण

बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1798, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडसिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रत्लाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री बी. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1330)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रत्लाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं.दु.सं./18 रत्लाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडोदा जिसका पंजीयन क्र. 633, दिनांक 30 जून, 1984 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1807, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडसिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रत्लाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1331)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रत्लाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं.दु.सं./18 रत्लाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जेठाना जिसका पंजीयन क्र. 280, दिनांक 08 फरवरी, 1982 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1805, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडसिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रत्लाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1332)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रतलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं./दु.सं./18 रतलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवेली जिसका पंजीयन क्र. 523, दिनांक 21 अक्टूबर, 1989 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1804, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. वर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1333)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रतलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं./दु.सं./18 रतलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिनोद जिसका पंजीयन क्र. 1078, दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1803, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1334)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र, सागोद रोड, रतलाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं./दु.सं./18 रतलाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरवा जिसका पंजीयन क्र. 977, दिनांक 27 जनवरी, 2014 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1802, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक

से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1335)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुर्घ संयंत्र, सागोद रोड, रत्लाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं./दु.सं./18 रत्लाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिनोली जिसका पंजीयन क्र. 501, दिनांक 02 दिसम्बर, 1988 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1801, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रत्लाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1336)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुर्घ संयंत्र, सागोद रोड, रत्लाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं./दु.सं./18 रत्लाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कामलिया जिसका पंजीयन क्र. 595, दिनांक 06 जनवरी, 1993 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1800, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रत्लाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1337)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रबंधक दुर्घ संयंत्र, सागोद रोड, रत्लाम द्वारा इनके पत्र क्रमांक/946/क्षे.सं./दु.सं./18 रत्लाम, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 द्वारा इस कार्यालय को लेखबद्ध अवगत कराया कि दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया जिसका पंजीयन क्र. 478, दिनांक 07 नवम्बर, 1998 है, यह संस्था अकार्यशील है तथा इसी आधार पर इस संस्था को परिसमापन में लाने की भी अनुशंसा की गई। इस पत्र को संज्ञान में लेकर कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1799, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में यह माना जाता है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र में निहीत कारणों से सहमत है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनीया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70(1) के अंतर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

परमानन्द गोडरिया,
उप-रजिस्ट्रार।

(1338)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 03 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/2149.—सार्विराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलेडी जिसका पंजीयन क्रमांक 74, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 आदेश क्रमांक 2418, दिनांक 07 जुलाई, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री राजेन्द्र वर्मा, स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था निर्वाचन नहीं कराया जाना था।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं ओ.पी.गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि/2418, दिनांक 07 जुलाई, 2017 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अंतर्गत सार्विराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलेडी जिसका पंजीयन क्रमांक 74, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री एन. के. राय, व.स.नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1339)

उज्जैन, दिनांक 03 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/2150.—अर्वलिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडोदियाकाजी जिसका पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 आदेश क्रमांक 954, दिनांक 18 मार्च, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री चन्द्रेश जोशी, स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था निर्वाचन नहीं कराया जाना था।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं ओ.पी.गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि/954, दिनांक 18 मार्च, 2017 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अंतर्गत अर्वलिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडोदियाकाजी जिसका पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री चन्द्रेश जोशी, स.नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक।

(1340)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 19 नवम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, संभाग उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2018/1209, उज्जैन, दिनांक 09 नवम्बर, 2017 एवं कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2018/1314, उज्जैन, दिनांक 18 जून, 2018 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश
			क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आरोग्य धनवर्षा सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	10/17-02-2014	1209/09-11-2017
2.	दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलोदिया जागीर	3561/08-12-2016	1314/18-06-2018

अतः मैं, एस. एन. मेहता, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना-पत्र आज दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

एस. एन. मेहता,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(1341)

कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 19 नवम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/क्यू.—कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच द्वारा निम्न आदेश क्रमांक व दिनांक के तहत् परिसमापनाधीन संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्थाओं का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
			4
1	2	3	4
1.	संस्कार प्राथ. सहकारी उप भण्डार, नीमच	102/24-10-2007	1389/31-03-2018
2.	जय माँ भादवा प्राथ. सहकारी उप भण्डार, नीमच	110/20-10-2007	390/31-03-2018
3.	संस्कृति प्राथ. सहकारी उप भण्डार, नीमच	111/26-12-2007	391/31-03-2018
4.	अभिनव प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था, नीमच	278/27-05-1991	392/31-03-2018
5.	संयुक्त यातायात सहकारी संस्था, नीमच	809/08-02-1997	393/31-03-2018
6.	ईंदिरा महिला उद्योग सहकारी संस्था, नीमच	23/17-10-2001	394/31-03-2018

1	2	3	4
7.	प्राथ. बारदान कृषि विकास सह. संस्था, नीमच	97/08-08-2007	395/31-03-2018
8.	श्रीनाथ स्टील एवं फर्नीचर सहकारी संस्था, नीमच	23/07-07-2007	398/31-03-2018
9.	कृष्णा बीज उत्पा. सहकारी संस्था, छायन	254/26-03-2015	377/31-03-2018
10.	राबड़िया बीज उत्पादक सहकारी संस्था, राबड़िया	227/10-02-2015	425/31-03,2018
11.	जय लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, खेडादारू	223/01-01-2015	369/31-03-2018
12.	श्री जलेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था, हरवार	242/12-02-2015	370/31-03-2018
13.	सांविलिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था, नीमच	158/08-06-2010	371/31-03-2018
14.	श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था, कराडिया महा.	225/09-01-2015	372/31-03-2018
15.	जय ज्वाला बीज उत्पादक सहकारी संस्था, सेमली मेवाड	297/06-07-2016	373/31-03-2018
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, हरनावदा	640/20-3-1992	207/03-05-2016
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, कुण्डला (जावद)	615/21-03-1992	207/03-05-2016
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, धामनिया (जावद)	412/23-02-1987	207/03-05-2016
19.	वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था, रामखेडा जन्नोद	556/24-07-1991	207/03-05-20-16
20.	अन्सारी बुनकर सहकारी संस्था, पड़दा	220/15-01-1991	207/03-05-2016
21.	आदर्श फल-फूल एवं साग-सब्जी प्रक्रिया एवं विपणन सह. संस्था, नीमच.	20/15-06-2001	383/14-05-2012
22.	जागृति उपभोक्ता सह. भण्डार, नीमच	981/30-10-1995	974/17-09-2018
23.	ओपियम उपभोक्ता सह. भण्डार, नीमच	43/06-05-1995	974/17-09-2018
24.	महिला देवी अहिल्या गृह उद्योग, नीमच	28/02-11-2001	974/17-09-2018
25.	तिलस्मा यातायात सहकारी संस्था, नीमच	57/25-02-2005	974/17-09-2018
26.	हरियाली हार्टिकल्चर सहकारी संस्था, पिपल्यावास	178/30-07-2018	974/17-09-2018
27.	ग्रीफील्ड हार्टिकल्चर सहकारी संस्था, जयर्सिंहपुरा	725/07-08-1999	974/17-09-2018
28.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, कराडिया महा.	634/28-03-1992	974/17-09-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के अंतर्गत उपरोक्त समस्त संस्थाओं के क्रमशः लेनदारों/देनदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि यदि उनसे संबंधित कोई भी लेनदारी/देनदारी हो तो सूचना-पत्र के प्रकाशन से दो माह (60 दिन) की अवधि में अपनी लेनदारी/देनदारी का दावा (क्लेम) मय प्रमाण के मुँझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय सहायक आयुक्त, नीमच में कार्यालयीन समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि के बाद कोई दावा स्वीकार करने योग्य नहीं होगा तथा परिसमापक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया।

एन. के. नान्देचा,
परिसमापक/सहायक निरीक्षक।

(1300)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018-पौष 7 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया।—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील सतवास (देवास) थांदला, पेटलावद (झाबुआ) खरगौन, गोगाँव, भीकनगांव (खरगौन) राजकोट (बड़वानी) बुरहानपुर (बुरहानपुर), शाहपुर, मुलताई (बैतूल), सौंसर (छिन्दवाड़ा), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.5 मि.मी से 34.9 मि.मी. तक:- तहसील मझगांव, बिरसिंहपुर (सतना), अनूपपुर (अनूपपुर), पाली (उमरिया), मल्हारगढ़ (मन्दसौर), टांकखुर्द, बागली, खातेगाँव (देवास), सौण्डवा (अलीराजपुर), सरदारपुर, गंधवानी, मऊ, अम्बेडकरनगर (इन्दौर), महेश्वर, सेगाँव, कसरावद, भगवानपुरा, झिरन्या (खरगौन), बड़वानी, ठीकरी, पाटी (बड़वानी), नेपानगर, खकनार (बुरहानपुर), मोहखेड़, चौरई, पांदुर्णा (छिन्दवाड़ा), बैतूल, घोड़ाडोंगरी, आमला (बैतूल), सिवनी, बरघाट (सिवनी), वारसिवनी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.0 मि.मी से 53.1 मि.मी. तक:- तहसील भिण्ड (भिण्ड), गौरीहार (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), सोहागपुर, बुढ़ार (शहडोल), गोपदबनास, मझोली, रामपुरनैकिन (सीधी), दालोदा, मन्दसौर (मन्दसौर), महिदपुर, तराना, घटिया (उज्जैन), कन्नौद, उदयनगर (देवास), उदयगढ़ (अलीराजपुर) डही (धार), सांवेर (इन्दौर), बड़वाह (खरगौन), नसरुल्लागंज, जावर (सीहोर), बरेली (रायसेन), चिचौली, आठनेर (बैतूल), सिवनीमालवा, इटारसी, पिपरिया, बनखेड़ी (होशंगाबाद), शाहपुरा (जबलपुर), साहपुरा (डिण्डोरी), बिछुआ, हरई, चांद (छिन्दवाड़ा), कुरई, लखनादौन, छापरा, धनोरा (सिवनी), खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि.मी से 244.9 मि.मी. तक:- तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़ (मुरैना), कराहल, विजयपुर (श्योपुर), अटेर, गोहद, मेहांव, लहार, रोन मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार (ग्वालियर), सेवड़ा, दतिया (दतिया), खनियाधाना, पिछोर, नरवर, करैरा, कोलारस, पोहरी, बैराढ़, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर, चन्द्रेरी (अशोकनगर), गुना, राघोगढ़, आरैन, चांचौड़ा, कुम्भराज (गुना), निवाड़ी, जतारा, बल्देवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बड़ामल्हरा,

लवकुशा,बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, पवई, अमानांज (पन्ना), खुरई, बण्डा, सागर, रेहली, गढ़कोटा, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़, जैसीनगर (सागर), हटा, बटियागढ़, दमोह, पथरिया, जबेरा, तेंदूखेड़ा, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, रामपुरबंधेलान, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर (सतना), सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज, हुमना, हुजूर, गुढ़, रायपुरकचुलियान (रीवा), ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू, जैतपुर (शहडोल), जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, कुसमी, चुरहट, बहरी (सीधी), चितरंगी, देवसर, सिंगरौली (सिंगरौली), सुबासरा, भानपुरा, गरोठ, श्यामगढ़, सीतामऊ (मन्दसौर), जाबद, नीमच, मनासा (नीमच), खाचरौद, उज्जैन, बड़नगर, नागद (उज्जैन), बड़ोद (आगर), मौमन बड़ोदिया, शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), सोनकच्छ, देवास, हाटपिपल्या (देवास), जोबट, अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा, चं. शे. आजादनगर (अलीराजपुर), बदनावर, धार, कुच्छी, मनावर, गन्धवानी (धार), देपालपुर, इन्दौर, गौतमपुरा (इन्दौर), सेंधवा, पानसेमल, बरला, निवाली, चांचरिया (बड़वानी), राजगढ़, जीरापुर, खिचलीपुर, ब्यावरा, सारांगपुर, पचौर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, नटरन, विदिशा, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया, हुजूर, भोपाल, सीहोर, आष्टा, इच्छावर, रेहटी, श्यामपुर, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गैहरगंज, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), भैंसदेही (बैतूल), होशंगाबाद, बावई, सोहागपुर, पंचमढ़ी (होशंगाबाद), जबलपुर, सीहोरा, पाटन, मझोली, पनागर (जबलपुर), नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवारा, तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर), मण्डला, नैनपुर, निवास, नारायणगंज, घुघरी (मण्डला), डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी), छिंदवाड़ा, तामियां, परासिया, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, उमरेठ (छिंदवाड़ा), केवलारी, घन्सौर (सिवनी), बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बैहर, लालवर्गा, तिरोड़ी, परसवाड़ा, विरसा (बालाघाट) में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(य) 245.0 मि.मी से 499.9 मि.मी. तक:- तहसील श्योपुर (श्योपुर), भाण्डेर, घाटीगांव (घालियर), सेवढ़ा (दतिया), शिवपुरी (शिवपुरी), बमोरी (गुना), टीकमगढ़, पृथ्वीपुर, ओरछा (टीकमगढ़), बीना, देवरी, मालथोन (सागर), कुण्डम (जबलपुर), बिछिया (मण्डला), में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई:- जिला श्योपुर, भिण्ड, घालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, अलीराजपुर, बड़वानी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी व सिवनी में कहीं-कहीं पर जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. धान रोपाई :- जिला श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, पन्ना, सागर, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, शहडोल, अलीराजपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी व बालाघाट में कहीं-कहीं पर रोपाई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

4. बोनी:- जिला श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, देवास, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी, राजगढ़, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी व सिवनी में कहीं-कहीं पर खरीफ फसलों की बोनी चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

5. फसल स्थिति:-

..

6. कटाई:-

..

7. सिंचाई:- जिला भिण्ड, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, शहडोल, उमरिया, मन्दसौर, नीमच, शाजापुर, बड़वानी, बुरहानपुर, विदिशा, भोपाल, बैतूल, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. पशुओं की स्थिति:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।

9. चारा:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

10. बीज:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

11. खेतिहर श्रमिक:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त्र बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती है। (द) खड़ी फसल पर रोप व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित。 (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	मिलीमीटर 118.2 181.0 176.0 145.0 91.0 164.0	2. .. 3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	मिलीमीटर 256.9 143.9 105.0	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू 3. .. 4. (1) गन्ना समान. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेंगांव 5. लहार 6. रौनमिहोना	मिलीमीटर 85.8 48.1 192.8 159.3 92.2 74.0	2. जुताई चालू 3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चीनोर 5. घाटीगांव	मिलीमीटर 204.5 59.0 81.4 .. 274.0	2. जुताई चालू 3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर 1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. इन्द्रगढ़ 4. बढ़ौनी 5. भाण्डेर	मिलीमीटर 103.4 165.0 256.0	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू 3. .. 4. (1) गन्ना अधिक. उड्ढ, मूँग, मूँगफली समान. तिल कम. (2) उपरोक्त फसलों समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त 6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
1. शिवपुरी	287.0				
2. पिछोरे	94.0				
3. खनियाधाना	143.0				
4. नरवर	227.0				
5. कैरेरा	123.0				
6. कोलारस	205.0				
7. पोहरी	110.0				
8. बैराड़	200.5				
9. बद्रखास	240.0				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	121.0				
2. ईसागढ़	144.0				
3. अशोकनगर	224.0				
4. चन्देरी	115.0				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	222.6				
2. राघोगढ़	224.0				
3. बमोरी	271.0				
4. आरोन	102.0				
5. चाचौड़ा	185.0				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	194.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, सोयाबीन, ज्वार, तिल, तूअर, मूँगफली अधिक. उड्ड, मूँग, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	231.0				
2. पृथ्वीपुर	257.0				
3. जतारा	171.0				
4. टीकमगढ़	264.0				
5. बल्देकगढ़	164.0				
6. पलेरा	99.0				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	254.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गौरीहार	42.0				
2. नौगांव	107.5				
3. छतरपुर	108.0				
4. राजनगर	137.6				
5. बिजावर	94.3				
6. बड़ामलहरा	65.2				
7. लवकुश नगर	75.0				
8. बक्सवाहा	73.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी-चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	214.8				
2. पन्ना-देवेन्द्रनगर	143.0				
3. अमानगंज-गुनौर	72.0				
4. पवई-सिमारिया	82.0				
5. शाहनगर-रैपुरा	41.0				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) कोदों-कुटकी, मक्का अधिक. धान, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, तिल, तूअर, मूँगफली, उड़द, मूँग, आलू-प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	267.0				
2. खुरई	185.7				
3. बण्डा	102.0				
4. सागर	173.4				
5. रेहली	134.0				
6. देवरी	294.0				
7. गढ़ाकोटा	107.4				
8. राहतगढ़	175.0				
9. जैसीनगर	71.2				
10. केसली	93.4				
11. मालथोन	248.0				
10. शाहगढ़	116.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मूँग, ज्वार अधिक. मक्का, तूअर, धान, उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	152.0				
2. बिट्यागढ़	53.3				
3. दमोह	148.0				
4. पथरिया	102.0				
5. जवेरा	137.0				
6. तेन्दूखेड़ा	155.4				
7. पटेरा	62.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी, रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तूअर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	163.9				
2. मझगावां	22.0				
3. रामपुर-(बघेलान)	132.0				
4. नागौद	188.9				
5. उच्चेरा	115.0				
6. अमरपाटन	70.0				
7. रामनगर	243.0				
8. मैहर	72.0				
9. बिरसिंहपुर	31.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौथर	62.0				
2. सिरमौर	91.8				
3. मऊगंज	74.5				
4. हनुमना	136.5				
5. हजूर	105.0				
6. गुढ़	65.4				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुर(कर्चुलियान)	98.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	40.0				
2. ब्यौहारी	81.0				
3. जैसिहनगर	91.0				
4. बुढ़ार	48.0				
5. गोहपारू	77.0				
6. जैतपुर	83.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1)धान, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, कोदों-कुटकी कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरीं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	100.3				
2. अनूपपुर	22.8				
3. कोतमा	126.8				
4. पुष्पराजगढ़	240.8				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	61.8				
2. पाली	29.6				
3. चंदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	65.5				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूँग, ज्वार कम. मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	52.2				
2. सिंहावल	101.6				
3. मझौली	47.0				
4. कुसमी	97.0				
5. चुरहट	64.2				
6. बहरी	148.6				
7. रामपुरनैकिन	48.5				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) मक्का समान. तुअर, ज्वार, धान, कोदों-कुटकी कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	68.6				
2. देवसर	95.8				
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	220.4				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का कम. सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा	67.8				
2. भानपुरा	100.2				
3. मल्हारगढ़	31.0				
4. गरोठ	59.2				
5. मंदसौर-दलोदा	41.0				
6. श्यामगढ़	97.2				
7. सीतामऊ	70.6				
8. दलोदा	..				
9. धुंधड़क्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4.(1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक, उड़द, मक्का, तूअर, मूँग, तिल, ज्वार कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावद	132.2				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नीमच	220.0				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	64.0				
23.*जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4.(1) .. (2) ..	5. .. 6. .. 7. .. 8. ..
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रत्लाम	..				
24.जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. खाचरौद	107.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	39.0				
3. तराना	46.0				
4. घटिया	43.0				
5. उज्जैन	115.0				
6. बड़नगर	63.0				
7. नागदा	63.0				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4.	5. .. 6. .. 7. .. 8. ..
1. बड़ौदा	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तूअर, उड़द अधिक. (2)उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	105.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	137.4				
3. शुजालपुर	89.0				
4. कालापोपल	124.0				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	89.0				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	55.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. टांकखुर्द	27.0				
3. देवास	94.0				
4. बागली	23.0				
5. कन्नोद	45.0				
6. हाटपिपल्या	85.0				
7. सतवास	8.0				
8. उदयनगर	45.0				
9. खातेगांव	32.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झावुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. रामा 5. झावुआ 6. राणापुर	मिलीमीटर 2.2 .. 1.8	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, तुअर अधिक. कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाडा 4. सोंडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा	मिलीमीटर 102.7 101.0 214.6 27.0 42.0 91.8 ..	2. जुताई एवं बोनी व धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, उड़द, ज्वार, कपास अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्की 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर 100.0 19.0 126.0 129.0 57.0 32.0 95.0 52.0	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेरे 3. इन्दौर 4. गोतमपुरा 5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर 80.0 43.0 60.90 63.0 25.0	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेंगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. सनावद 10. झिरन्या	मिलीमीटर 35.0 34.6 24.0 6.6 14.0 26.0 26.4 14.0 .. 22.0	2. बोनी चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
33. जिला बड़बानी : 1. बड़बानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली 10. चाचरिया	मिलीमीटर 21.8 33.0 12.0 76.0 71.0 24.0 .. 70.0 74.0 ..	2. जुताई एवं बोनी चालू.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास, गन्ना अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पुनासा	..				
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
35.जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	16.3				
2. खकनार	17.9				
3. नेपानगर	28.0				
36.जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. राजगढ़	73.4				
2. जीरापुर	91.3				
3. खिलचीपुर	102.0				
4. व्यावरा	123.8				
5. सारंगपुर	124.7				
6. पचोर	122.0				
7. नरसिंहगढ़	89.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	58.0				
2. सिरोंज	98.0				
3. कुरवाई	147.4				
4. बासोदा	121.0				
5. नटरेन	114.0				
6. विदिशा	111.6				
7. गुलाबगंज	116.0				
8. समसाबाद	..				
9. त्योदा	..				
10. पठरी	..				
11. ग्यारसपुर	95.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू	3. .. 4. (1) उड़द, मूँगा, ज्वार, धान अधिक. सोयाबीन, मक्का कम. (2)उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	62.6				
2. हुजूर	91.4				
3. बैरागढ़	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू	3. .. 4. (1) मक्का, उड़द अधिक. सोयाबीन ज्वार, मूँग, तूअर कम. गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	115.8				
2. आष्टा	81.0				
3. इच्छावर	62.0				
4. नसरुल्लागंज	41.0				
5. रेहटी	136.0				
6. श्यामपुर	101.0				
7. जावर	43.0				
8. बुधनी	89.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	115.6				
2. गैरतगंज	163.6				
3. बेगमगंज	169.0				
4. गोहरगंज	68.0				
5. बरेली	38.2				
6. सिलवानी	125.8				
7. बाड़ी	57.5				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	130.1				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैतूल	26.6				
2. भैंसदेही	69.3				
3. घोड़ाडोंगरी	23.5				
4. शाहपुर	8.2				
5. चिंचोली	38.2				
6. मुल्लाई	15.8				
7. आठनेर	37.2				
8. आमला	24.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	131.2				
2. सिवनी-मालवा	49.0				
3. बावई	76.0				
4. इटारसी	50.4				
5. सोहागपुर	68.0				
6. पिपरिया	43.0				
7. बनखेड़ी	40.2				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढ़ी	203.4				
43.*जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हर्डिया	..				
6. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तूअर, उड़द, सोयाबीन, मूँग कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	157.0				
2. कुण्डम	350.6				
3. सीहोरा	188.6				
4. पाटन	128.2				
5. मझौली	118.8				
6. शाहपुरा	46.9				
7. पनागर	130.0				
45.*जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बहोरीबंद	..				
2. ढीमरखेड़ा	..				
3. रीठी	..				
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कट)	..				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	99.0				
2. गोटेगांव	101.0				
3. करेली	57.0				
4. गाडरवारा	69.0				
5. तेंदूखेड़ा	80.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	141.2				
2. नैनपुर	141.4				
3. बिछिया	253.6				
4. निवास	136.4				
5. नारायणगंज	185.9				
6. घुघरी	128.3				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, उड़द, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	92.2				
2. शाहपुरा	49.8				
3. बजाग	124.0				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) धान, मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	53.2				
2. तामिया	124.0				
3. परासिया	53.8				
4. जामई जुन्नारदेव	100.0				
5. सोंसर	10.0				
6. बिछुआ	44.3				
7. अमरवाड़ा	136.6				
8. चौरई	22.4				
9. उमरेठ	81.6				
10. मोहखेड	31.4				
11. हरई	47.4				
12. चांद	51.5				
13. पांडुर्णा	21.3				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी चालू धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	28.4				
2. बरधाट	22.0				
3. कुरई	40.0				
4. कवलारी	68.6				
5. लखनादेन	46.4				
6. छपारा	41.4				
7. धनोरा	50.9				
8. घंसोर	69.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	55.8				
2. लाँजी	55.4				
3. किरनापुर	66.2				
4. बैहर	165.0				
5. वारासिवनी	20.0				
6. कटंगी	5.5				
7. लालबर्ग	100.0				
8. तिरोडी	95.2				
9. परसवाड़ा	119.5				
10. बिरसा	140.0				
11. खैरलाँजी	50.0				

जिला:- जिला रत्लाम, आगर, खण्डवा, हरदा व कटनी से पत्रक अप्राप्त हैं।

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1325)